**सं.: 1:05:138:II:सीएस**

**दिनांक: 11 फरवरी, 2019**

| | |
|---|---|
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा,<br>बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051 | बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,<br>कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, तल-25,<br>पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001 |

**विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम - सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में सूचना।**

महोदय/महोदया,

हमारे दिनांक 05.02.2019 के पूर्ववर्ती पत्र के अनुक्रम में, आपको सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज दिनांक 11 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संसाधन जुटाने की सीमाओं अर्थात एक या एक से अधिक ट्रांच/सीरीज में विभिन्न ऋण सेगमेंट के अंतर्गत बाज़ार ऋण कार्यक्रम में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है जो इस प्रकार है:

| क्रम सं. | स्रोत | राशि (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| 1 | **<u>दीर्घावधि ऋण (रुपया):</u>** सावधि ऋण और दीर्घावधि करयोग्य/कर मुक्त बॉण्ड का सार्वजनिक/निजी प्लेसमेंट, स्थायी/विमोचनीय, प्रतिभूत/अप्रतिभूत, संचयी/गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ज़ीरो कूपन बॉण्ड/सबोर्डिनेटिड बॉण्ड/मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड/54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ बॉण्ड/भारत सरकार सेवाप्रदत्त बॉण्ड/भौतिक और/अथवा डीमैट रूप में अन्य बॉण्ड 30 वर्ष की अवधि के लिए पुट ऑप्शन के साथ/पुट ऑप्शन के बिना और जिन्हें एनएसई और/अथवा बीएसई में सूचीबद्ध किया जाएगा - वर्ष के दौरान जुटाई गई और पूर्वभुगतान की गई दीर्घावधि निधियों को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा। | 67,000 |
| 2 | **<u>दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण</u>** ऋण /बॉण्ड/नोट/एफसीएनआर (बी) ऋण या रुपये या किसी अन्य लिखत के माध्यम से इसमें विदेशों में जारी किए गए रुपए मूल्यवर्ग बॉण्ड/ नोट शामिल हैं। (1 यूएसडी=65 रुपए की दर से 2.5 बिलियन यूएसडी) | 10,000 |
| 3 | **<u>अल्पावधि ऋण</u>:** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी समय बकाया-अल्पावधि ऋण/आईसीडी/एफ़सीएनआर (बी)। वर्ष के दौरान जुटाई गई और | 7,000 |

| | | |
|---|---|---|
| | चुकाई गई अल्पावधि निधियों को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा। | |
| 4. | <u>**वाणिज्यिक पेपर**</u> – वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी समय बकाया। वर्ष के दौरान जुटाए गए और चुकाए गए वाणिज्यिक पेपर को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा। | 13,000 |
| | **कुल** | **97,000** |

क. सभी कार्यात्मक निदेशकों की अनुशंसा पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफ़सी को 97,000 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के भीतर ऊपर उल्लिखित विभिन्न स्रोतों से राशि की विनिमेयता का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

ख. उपर्युक्त बाजार ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों को वास्तव में वित्तीय वर्ष 2081-19 के दौरान समय-समय पर जुटाया जाएगा, इसके लिए निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाएगा।

बोर्ड बैठक अपराहन 12.00 बजे शुरू होकर अपराहन 1.50 समाप्त हुई।

आपकी सूचनार्थ और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत

धन्यवाद

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com